

श्रीमान पदार्थों विल आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में होने वाले निर्माण कार्य में सामग्री के कम में महोदय, निर्वाहन है कि ग्राम जौंसर पंचायत समिति खण्डेला में वर्ष 2021-22 का में विषय: ग्राम पंचायत जौंसर पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर के सरपंच द्वारा निरवत मानन रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 'सूबा में श्रीमान महानिदेशक महोदय अख्तियार निरीक्षक ज्यूसी जयपुर (राज.) गीविन्दरा, तहसील चौम, जिला जयपुर ने ज्यूसी कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की आई श्री बालचंद्र यादव, निवासी 451, टाणी बेरावाली ठोसर, गांव ठोसर, पुलिस थाना दिनांक 13-9-2022 की परिवारी श्री मोहन लाल यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव एवं उसके

12. विषय वस्तु प्रथम इतिहास रिपोर्ट (अगर अधीनस्थ हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे):-
11. पंचनामा/ यू.डी. कंस संख्या (अगर हो तो)
10. चूड़ई हुई/ लिख सम्पत्ति का कुल मूल्य-2,10,000 रूपये लिख सम्पत्ति

9. चूड़ई हुई / लिख सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अधीनस्थ हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)....
8. परिवारी / सूचनाकर्ता द्वारा इतना देने में विलम्ब का कारण

सीकर। श्री शरण कुमार उर्फ मुकेश पुत्र श्री अर्जुन लाल उम 36 वर्ष, जाति बलाह, निवासी गढा, पुलिस थाना रीगस, जिला सीकर हाल सरपंच ग्राम पंचायत जौंसर, पंचायत समिति खण्डेला, जिला

7. शार/अशार संस्थान अभियुक्तों का ज्यूसी सम्पूर्ण विशिष्टियां सहित :-
तहसील चौम, जिला जयपुर।

- (क) पता-हाल निवासी 451, टाणी बेरावाली ठोसर, गांव ठोसर, पुलिस थाना गीविन्दरा,
- (ख) अक्सराय-ठेकदारी
- (ग) जारी होने की जाहे
- (घ) पासपोर्ट संख्या
- (ङ) राष्ट्रीयता- भारतीय
- (च) जन्म तिथि- उम-34 वर्ष
- (ज) पिता/पति का नाम-श्री बंशीधर यादव
- (झ) नाम-श्री मोहन लाल यादव

- 6.(1) परिवारी/सूचनाकर्ता :-
- पुलिस थाना
- (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
- (ब) बीट संख्या.....जयसामदेही से.....
- (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब परिवाम दिशा करीब 65 किमी

5. घटनास्थल :-बेडी होस्पिटल के पास, थारत गैस गोदाम के सामने, रीगस, जिला सीकर।
4. सूचना की क्रम :- लिखित/माँहिक- लिखित
- (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.9.2022 समय 12.30 पीएम
- (ब) अपराध घटने का दिन-शुक्रवार, दिनांक 23.09.2022 समय 3.21 पीएम

3. रोजानामवा आम रपट संख्या समय 6:30 PM
- (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं
- (III) अधिनियम
- (II) अधिनियम
- (I) अधिनियम:-धारा 7 अख्तियार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी कर, थो नि 0 जयपुर, वर्ष- 2022 प्रोटोको सं. 383/22 दिनांक 04.09.2022

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

श्री श्रवण कुमार ने विकास अधिकारी खण्डेला के मोबाइल नम्बर 9414440090 देना बताया जिस आया। तत्पश्चात् सरपंच श्री श्रवण कुमार से विकास अधिकारी खण्डेला के नम्बर मांगे गये तो 5.22 पीएम पर सेक्रेट्री के उक्त मोबाइल पर कॉल लगाया तो सेक्रेट्री का फोन स्वीच ऑफ सेक्रेट्री श्री दिवकेश मीना के मो0न0 9785668484 बताये जिस पर मने पुलिस निरीक्षक ने समय पत्रावलियों पंचायत में ही रखी है जिस पर सेक्रेट्री के नम्बर सरपंच से चाहे गए तो सरपंच ने मुकेश से पूछा गया तो श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश ने बताया कि परिवारी के कार्य से संबंधित तत्पश्चात् परिवारी के कार्य से संबंधित पत्रावलियों के बारे में सरपंच श्री श्रवण कुमार उर्फ कब्जा एसीबी लिया गया।

उक्त कार की मूल आरसी व इंसीरन्स की फोटो कम्पा मिली है जिनकी बतौर वजह सर्वे न0 आरजे-14-जेडसी-6006 की तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई उक्त कार के डिसबोर्ड में मार्क-सी अंकित किया जाकर बतौर वजह सर्वे कब्जा एसीबी लिया गया। तत्समय ही उक्त कार की डीपी में रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की डीपी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर तथा कपड़े की चिट्टी की सुझाकर चिट्टी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर चिट्टी की एक कपड़े करवाकर मार्क सी-1, सी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सर्वे कब्जा एसीबी लिया गया साफ कांच की शिष्टियां में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त डालरीन ने गुलाबी रंग देना स्वीकार किया जिस दो रिपरींगी रीशिंग का पकट रखा हुआ था उस स्थान पर बारी-बारी से राइडकर धोवन लिया गया तो जाकर गाड़ी का लॉक खोलकर गेयर के पास बने बॉक्स में बारी-बारी से डूबोकर जहां पर आरजे-14-जेडसी-6006 की चाबी लेकर शीशे गिलास के घोल की गाड़ी के पास ले स्वीकार किया। देप बॉक्स से एक कपड़े की चिट्टी लेकर मास्की कर न0 डालकर घोल तैयार करवाया जाकर डालरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग राइडर के उभरे प्लास्टिक की बोल से साफ पानी डालकर उभरे एक बमब सीडियम कार्बोनेट पाउडर का प्लैस्टिक की बोल में साफ पानी मंगाकर उक्त गिलास को पुनः साबुन पानी से धुलवाकर तत्पश्चात् देप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उभरे धाना परिसर से कब्जा एसीबी लिया गया।

कानाज के साथ मिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सर्वे बैंक लिखा हुआ है व अखबार महानगर टाइम्स 14 जून 2022 लिखा हुआ है को एक सफर नोट पांच पांच सौ रुपये के कुल 80,000/- के ल 1,60,000/- रूपये जिन पर भारतीय मनीरेज 50,000/- रूपये व डीपी नोट जिसमें 40 नोट दो-दो हजार रूपये के कुल 80 हजार तथा 160 के 160 नोट जिन पर भारतीय मनीरेज बैंक लिखे हुए हैं मिले हैं। उक्त भारतीय मुद्रा के रूपये तथा 1,60,000/- रूपये के डीपी नोट जिसमें दो-दो हजार के 40 नोट एवं पांच पांच सौ रूपये भारतीय मुद्रा जिसमें 10 नोट दो-दो हजार रूपये के तथा 60 नोट पांच पांच सौ 2,10,000/- रूपये को पुनः फर्द प्रेशकरी से दोनों स्वतंत्र गवाहन से मिलान करवाया गया तो तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु शर्मा के पास सुरक्षित रखवाए गए रिपरींगी रीशिंग बतौर वजह सर्वे कब्जा एसीबी लिया गया।

सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर ने मटभूला रंग देना स्वीकार किया जिस दो साफ कांच की शिष्टियां में आधा-आधा डालकर के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटभूला हो गया जिसे समस्त डालरीन गिलास के घोल में श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश सरपंच के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे अंकित किया जाकर बतौर वजह सर्वे कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 समस्त डालरीन ने हल्का गुलाबी रंग देना स्वीकार किया जिस दो साफ कांच की शिष्टियां में अंगुठे की बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे कांच के गिलास के घोल में श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश सरपंच के बांये हाथ की अंगुलिया व डालरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग राइडर के घोल में साफ पानी डालकर उभरे एक-एक बमब सीडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनों गिलासों में प्लास्टिक बोल से, साफ पानी तत्पश्चात् धाना परिसर से प्लास्टिक की बोल में साफ पानी मंगाया जाकर गिलासों को के पास सुरक्षित रखवाए गए। गाड़ी की लॉक किया जाकर चाबी सुरक्षित रखी गई।

मुद्रा 50,000/- रूपये एवं डीपी नोट 1,60,000/- के ल 2,10,000/- रूपये पाए गए जिनकी गवाह उठवाई जाकर दोनों गवाहन से उक्त पकट की बैंक करवाया तो फर्द सुपुर्दगी में अंकित भारतीय बॉक्स में रिपरींगी रीशिंग अखबार में लिपटी हुई रखी है जिसकी स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु शर्मा से परिवारी एवं आरोपी के बताये अनुसार कार की ड्राइवर सीट की बाल गेयर के पास बने गाड़ी पुलिस धाना रोगस में पुनः आरोपी एवं परिवारी से पूछताछ की गई तो पूर्व में बताई गई गाड़ी को ही दोहराया गया।

अध्यापक निरीक्षक वर्ग,
जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
पुलिस निरीक्षक,
(मानव-संसाधन)


अतः आरोपी श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 36 वर्ष, जति बलाई, निवासी गढा, पुलिस थाना रीगस, जिला सीकर हाल सरपंच ग्राम पंचायत जैतसर, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर के विक्रेत अन्तर्गत धारा 7 अध्यापक निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जिनका नबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन है। प्रेषित है।

जाने पर आरोपी श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 36 वर्ष, जति बलाई, उक्त कल्प वर्म अन्तर्गत धारा 7 अध्यापक निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का प्राया तथा रिश्वती राशि कर के गैर के पास बने बॉक्स से बरामद होने प्राया गया है जिससे इनका 2,10,000/- की रिश्वती राशि अपने दोष में लेकर कर के गैर के पास बने बॉक्स में रखना 23-9-2022 को दैप कार्यवाही करते हुए आरोपी को परिवारों श्री मोहन लाल यादव से लौटाने की ऐवज में कुल 2,10,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग करना प्राया जाने पर दिनांक रूपये एवं कीचड़ साफ सफाई का आदि के 45000/- रूपये की पूरी राशि व अमानत राशि 55000/- रूप में रिश्वती राशि करीब 70,000/- रूपये इसके अतिरिक्त रास्ता दुरुस्तीकरण का 20 प्रतिशत कमीशन के निम्न सामग्री सप्लाइ एवं निम्न कार्य करीब 3,50,000/- रूपये का 20 प्रतिशत कमीशन के 20 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वती राशि करीब 40,000/- रूपये एवं बाह्य माहौल में करवाए गए निम्न कार्य एवं निम्न सामग्री का भुगतान 1,99,000/- हुआ था उसकी ऐवज में बंशीधर की कम्पनी मैसर्स वेल्सम कन्स्ट्रक्शन एण्ड प्रोपर्टी द्वारा ग्राम पंचायत जैतसर में पूर्व में पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर ने परिवारों श्री मोहन लाल यादव व उनके पिता श्री जति बलाई, निवासी गढा, पुलिस थाना रीगस, जिला सीकर हाल सरपंच ग्राम पंचायत जैतसर, जति बलाई, निवासी गढा, पुलिस थाना रीगस, जिला सीकर उर्फ मुकेश पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 36 वर्ष, उक्त कार्यवाही से आरोपी श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 36 वर्ष, नैयार की गई।

देन के समय की वार्ता रिकार्ड होने पाई गई है जिसकी नियमानुसार फट्टे ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया करने हेतु निर्देशित किया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुना गया तो रिश्वत लेन पाठक का काल आया जिनका परिवारों के कार्य से संबंधित पत्रावलियों की फोटो कॉपी प्रस्तुत काल रिखिब नहीं किया। तत्पश्चात् समय करीब 5.25 पीएम पर विकास अधिकारी श्री मुरारीलाल के माबाईल नंबर 9414400090 पर समय 5.23 पीएम पर काल किया तो विकास अधिकारी ने पर मने पुलिस निरीक्षक ने अपने माबाईल से विकास अधिकारी खण्डेला श्री मुरारी लाल पाठक

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री श्रवण कुमार उर्फ मुकेश पुत्र श्री अर्जुन लाल, सरपंच, ग्राम पंचायत जैतूसर, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 383/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


24.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3320-24 दिनांक 24.9.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।


24.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।